

::आदेशः

संख्या: /तीन-ए-425(स्था0)/शि0का0लख0/2018 दिनांक 07 जून 2018
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या-1118/94-1-2018-312(101)/2018 दिनांक 31.05.2018 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-1118(3)/94-1-2018-312(101)/2018 दिनांक 01.06.2018 के अनुक्रम में निर्णयित उप निबन्धकों का स्थानान्तरण इस कार्यालय के आदेश संख्या-2296(1-12)/तीन-ए-425(स्था0)/शि0का0लख0/2018 दिनांक 02.06.2018 द्वारा किया गया था:-

क्रमांक	उप निबन्धक का नाम सर्वश्री	वर्तमान तैनाती/कार्यालय का नाम	नवीन तैनाती/कार्यालय का नाम
1	2	3	4
1	सुनील कुमार	सहारनपुर सदर, तृतीय	निजामाबाद, आजमगढ़
2	डा0 अमृता जायसवाल	नानपारा, बहराईच	लालगंज, आजमगढ़

2- स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या-1160/94-1-2018-312(101)/2018 दिनांक 06.06.2018 के अनुपालन में उक्त स्थानान्तरण आदेश को संशोधित करते हुए निम्नवत् स्थानान्तरण किया जाता है:-

क्रमांक	उप निबन्धक का नाम सर्वश्री	वर्तमान तैनाती/कार्यालय का नाम	नवीन तैनाती/कार्यालय का नाम
1	2	3	4
1	सुनील कुमार	सहारनपुर सदर, तृतीय	लालगंज, आजमगढ़
2	डा0 अमृता जायसवाल	नानपारा, बहराईच	निजामाबाद, आजमगढ़

अतः कार्यालय आदेश संख्या-2296(1-12)/तीन-ए-425(स्था0)/शि0का0लख0/2018 दिनांक 02.06.2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

3- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

4- उपर्युक्त स्थानान्तरित उप निबन्धक वर्तमान तैनाती स्थल से प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

(सीताराम यादव)
महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश शिविर लखनऊ।

संख्या: 2338 (1-12)/तीन-ए-425(स्था0)/शि0का0लख0/2018 दिनांक 07 जून 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री स्टाम्प एवं पंजीयन, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं पंजीयन, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. जिलाधिकारी सहारनपुर, आजमगढ़ एवं बहराईच।
4. समस्त अपर महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
- 5- उप महानिरीक्षक निबन्धन, सहारनपुर, आजमगढ़ एवं गोण्डा।
6. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) पदेन जिला निबन्धक, सहारनपुर, आजमगढ़ एवं बहराईच।
7. सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, सहारनपुर, आजमगढ़ एवं बहराईच को इस निर्देश सहित प्रेषित कि उपर्युक्त आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करावें।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी सहारनपुर, आजमगढ़ एवं बहराईच।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सहारनपुर/आजमगढ़/बहराईच।
10. सम्बन्धित उप निबन्धकों को अनुपालनार्थ।
11. पटल सहायक को उक्त उप निबन्धकों की व्यक्तिगत पत्रावली में अनुरक्षित करने हेतु।
12. गार्ड फाईल।

(सीताराम यादव)
महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

Attested
B. Jayaswal
23/6/2018